

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग,  
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

आदेश

सं०सं०-ह०क०(१०) विविध-३५/२०१५ (खण्ड-१)

मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के तहत बुनकरों तथा रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेज आर्टिजन को योजना का लाभ देने एवं ससमय योजना का क्रियान्वयन हेतु निदेशालय आदेश ज्ञापांक-१३९३ दि०-२७.०७.१५ के क्रम में कहना है कि

(i) श्री रजनी कान्त रंजन, पर्यवेक्षक, बु०प्र०के०, झींगनगर, बिहारशरीफ आंवटित जिला नवादा के अतिरिक्त नालन्दा में भी योजना का कार्य करेंगे।

(ii) श्री उपेन्द्र कुमार बर्मा, पर्यवेक्षक, बु०प्र०के०, ओबरा, औरंगाबाद आंवटित जिला सिवान के अतिरिक्त औरंगाबाद में भी योजना का कार्य करेंगे।

अन्य सभी शर्तें यथावत रहेगी।

ह०/-  
निदेशक,  
हस्तकरघा एवं रेशम,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- श्री रजनी कान्त रंजन, पर्यवेक्षक, बु०प्र०के०, झींगनगर, बिहारशरीफ/श्री उपेन्द्र कुमार बर्मा, पर्यवेक्षक, बु०प्र०के०, ओबरा औरंगाबाद/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा/औरंगाबाद, उ०वि०पदा०(वस्त्र), गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
निदेशक,  
हस्तकरघा एवं रेशम,  
बिहार, पटना।


ज्ञापांक-

1461

पटना, दिनांक-

07/8/15

प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक,  
हस्तकरघा एवं रेशम,  
बिहार, पटना।  
